UPKJ010010832014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/ एन0डी0पी0एस0एक्ट, कन्नौज।

उपस्थित–पूर्णिमा पाठक,(उच्चतर न्यायिक सेवा)

J-O-CODE-UP 1570

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–34/2014

राज्य ....**अभियोजक**

बनाम

दीपू पुत्र बाबूराम उर्फ बाबू गिहार निवासी महरूफपुर रावी थाना कमालगंज जिला फर्रूखाबाद। ....**अभियुक्त**

मुकदमा अपराध संख्या–701/2014
धारा–21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना व जनपद कन्नौज।

निर्णय

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दीपू के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 701/2014, थाना व जिला कन्नौज, अन्तर्गत धारा 21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट में आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 29.08.2014 को समय 11.05 बजे रात्रि स्थान ओबरब्रिज के पुल के खम्भे से करीब 20–25 कदम दूर पश्चिम की तरफ जलालपुर पनवारा थाना व जिला कन्नौज के क्षेत्राधिकार में जब अभियुक्त दीपू को मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया और जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 345 ग्राम नशीला पाउण्डर बरामद हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गई और घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया गया। विवेचक द्वारा मामले से संबंधित समस्त औपचारिकता पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप–पत्र मु०अ०सं०–701/2014, अन्तर्गत धारा–21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया और उसके विरुद्ध दिनांक–12.11.2025 को अन्तर्गत धारा–21/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने विरचित किए गए आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

अभियोजन ने अपने केस को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य में फर्द बरामदगी

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.12 18:14:20 IST
Reason: Judgement
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

प्रदर्श क–1 व चिक/एफ0आई0आर0 की प्रति प्रदर्श क–2 प्रस्तुत कर साबित कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद अभियोजन प्रपत्र आरोपपत्र प्रदर्श क–3, जी0डी0 प्रदर्श क–4, नक्शानजरी प्रदर्श क–5 तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–6 की औपचारिक सत्यता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रुप में साक्षी पी०डब्लू०–1 निरीक्षक रविन्द्र नाथ यादव द्वारा अपना साक्ष्य अंकित कराया गया। साक्षी पी०डब्लू०–1 ने फर्द बरामदगी की प्रमाणित प्रति व चिक/एफ0आई0आर0 की प्रमाणित प्रति को क्रमशः प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 1 ता वस्तु प्रदर्श 3 के रूप में अपने साक्ष्य से साबित किया है।

बयान अभियुक्त 313 के स्तर पर अभियुक्त के द्वारा जुर्म संस्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को सही बताया गया तथा साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य को सही बताते हुए स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया जाना बताया गया है। अभियुक्त से यह भी प्रश्न किया गया कि जुर्म स्वीकारोक्ति से आपको कारावास या अर्थदण्ड या दोनों हो सकते हैं तो उसके द्वारा इसकी जानकारी होना बताया गया है। इसके बाद भी जुर्म स्वीकार करते हुए दाण्डिक वाद के निस्तारण की याचना जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किये जाने का कथन किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यकरुपेण परिशीलन किया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर दिनांक 29.08.2014 को समय 11.05 बजे स्थान ओबरब्रिज के पुल के खम्भे से करीब 20–25 कदम दूर पश्चिम की तरफ जलालपुर पनवारा थाना व जिला कन्नौज के क्षेत्राधिकार में जब अभियुक्त दीपू को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से 345 ग्राम नशीला पाउण्डर बरामद होने का आरोप है। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं।

क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त दीपू के विरुद्ध प्रश्नगत मामले में अन्तर्गत धारा–21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप साबित करने में सफल रहा है?

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से 345 ग्राम नशीला पाउडर डायजीपाम बरामद किया गया।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 निरीक्षक रवीन्द्रनाथ यादव ने फर्द बरामदगी व चिक/एफ0आई0आर0 को बतौर प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है तथा

अभियुक्त ने स्वयं कथित 345 ग्राम नशीला पाउडर डायजीपाम अपने कब्जे से बरामद होने का कथन करते हुए जुर्म स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में "भी वस्तु विश्लेषण द्वारा डायजीपाम पाया गया," का उल्लेख किया गया है।

अभियोजन की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व समस्त अभियोजन प्रपत्रों/अभिलेखीय साक्ष्यों, के सम्यक् अधिमूल्यन तथा परिशीलन से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से तथा अभियुक्त द्वारा किये गये जुर्म संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को धारा–21/22 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध का दोषी पाया जाता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर एवं अभियुक्त की स्वेच्छया जुर्म संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दीपू को अन्तर्गत धारा–21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 34/2014 राज्य बनाम दीपू संबंधित मुकदमा अपराध संख्या–701/2014, अन्तर्गत धारा–21/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्त दीपू को दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त दीपू जिला कारागार कासगंज से न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 12.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/
एन0डी0पी0एस0 एक्ट कन्नौज।
J-O-CODE-UP1570

लंच बाद

लंचबाद पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

अभियुक्त दीपू की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त उक्त वाद में लगभग सात माह, पूर्व में भी जिला कारागार में निरुद्ध रह चुका है और वर्तमान में 12.11.2025 से उक्त प्रकरण में लगातार जेल में निरूद्ध चल रहा है एवं वर्ष 2014 से लगातार प्रश्नगत मामले में भागदौड़ कर रहा है। उसका कोई सक्षम पैरोकार नहीं है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में कथन किया गया कि वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अतः अभियुक्त दीपू को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त दीपू के कब्जे से थाना व जिला कन्नौज के पुलिस कर्मियों द्वारा 345 ग्राम नशीला पाउडर डायजीपाम बरामद किया गया है। अतः अभियुक्त दीपू को अधिक से अधिक दण्ड से दंडित किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार जो माल पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त के पास से 345 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया है वह डायजीपाम है, जो अल्प मात्रा से अधिक है परन्तु वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है वह भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। पत्रावली प्राचीन पत्रावलियों में से एक है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त पूर्व में दौरान विचारण कारागार में निरुद्ध रह चुका है और वर्तमान में भी निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा दर्शायी गयी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 34/2014 राज्य बनाम दीपू मुकदमा अपराध संख्या 701/2014, अन्तर्गत धारा 21/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना व जिला कन्नौज के मामले में अभियुक्त दीपू को **11 माह 10 दिन के कठोर कारावास** से व **मु०–3,000/– रु० (तीन हजार रुपये)** के **अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। **अर्थदण्ड अदा न करने पर** अभियुक्त दीपू को **15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास** भुगतना होगा। अभियुक्त दीपू का सजायवी वारण्ट बनाकर जिला कारागार कासगंज भेजा जाए। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि इस दण्डादेश में समायोजित की जाए।

प्रस्तुत मुकदमे में माल मुकदमाती अपील न होने की दशा में वाद मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में नियमानुसार जब्त किया जाए। अपील होने की दशा में माल मुकदमाती माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जाएगा।

अभियुक्त को इस निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदत्त की जाए।

दिनांक 12.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/
एन0डी0पी0एस0 एक्ट कन्नौज।
J-O-CODE-UP1570

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 12.03.2026

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/
एन0डी0पी0एस0 एक्ट कन्नौज।
J-O-CODE-UP1570